महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–1081/9–1–14–466 सा/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक,
स्थानीय निकाय उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत,उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक: 31 जुलाई,2014

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 अगस्त,2013 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय के संविदा सफाई कर्मचारियों की संविदा धनराशि पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या– सांख्यिकी सेल (च)/127/संविदा सफाई, दिनांक 25 फरवरी,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/ दस–54 (एम) 2008 टी0सी0, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के प्राविधानों के अनुसार 630 नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों की संविदा धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कार्मिकों को संबंधित पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा राशि उन्ही कार्मिकों को अनुमन्य करायी जायेगी जो पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रकिया के अनुसार की गयी हो।

2 बिन्दु संख्या–(1) में वर्णित संविदा पुनरीक्षित धनराशि नागर निकायों के उन्हीं संविदा सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिनकी नियुक्ति शासनादेश संख्या–4140/नौ–1–2005–66 सा/2001 टी.सी., दिनांक 26 अगस्त, 2005 के प्राविधानों/नियमों के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रकिया के अनुसार की गयी है।

3. पुनरीक्षित धनराशि के फलस्वरूप आने वाले व्यय–भार को निकाय स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव संबंधित निकाय के बोर्ड/सदन से पारित करने के उपरान्त ही शासन द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित प्रस्ताव निकायों द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक, स्थानीय निकाय संकलित प्रस्ताव शासन को तत्काल प्रेषित कर भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करेगें।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र **संख्या–वे0आ0–2–871/दस–14 दिनांक 30.07.2014** की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
31/7/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।